IDBI BANK

## आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय- आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005, फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.com

# सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक महासभा बुधवार, दिनांक 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

### सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
2. वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना;
3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

''संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति और (ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, उपर्युक्त नियुक्तियां ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

### विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक के संस्था अंतर्नियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा/या किसी अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देश के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई है, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने

IDBI BANK

## IDBI BANK LIMITED

CIN: L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,
e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com

# NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 11th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Wednesday, August 12, 2015 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to tr ansact the following business :

### ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2015 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;
2. To declare Dividend for the year 2014-15;
3. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) appoint Joint Statutory Auditor(s) of the Bank for the Financial Year 2015-16 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2015-16 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

### SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Articles of Association of the Bank, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications

के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' के रूप में निर्दिष्ट जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके बाद गठित की जानेवाली कोई भी समिति शामिल होगी) के लिए भारत में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज के माध्यम से कुल अधिकतम ₹ 6000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित) के ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या आईडीबीआई बैंक के मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में इस प्रकार जोड़ी जाए कि केंद्र सरकार की बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में धारिता किसी भी समय 51% प्रतिशत से कम न हो, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (''एनआरआई''), कंपनियों (निजी या सार्वजनिक), निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (''क्यूआईबी'') जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (''एफआईआई''), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों को बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रस्तावित करने, जारी करने तथा आबंटित करने (पक्के आबंटन तथा/या निर्गम के उस भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून के द्वारा अनुमत किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित) के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों तथा रिज़र्व बैंक, सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों के अधीन और ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार होगा कि वह इस तरह से मूल्य या मूल्यों को निर्धारित कर सके और जहां जरूरी हो, वहां अग्रणी प्रबंधकों तथा/ या हामीदारों और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे निबधनों एवं शर्तों पर जो बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार हों, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, अन्य विनियमों और किसी या अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, चाहे वे निवेशक वर्तमान में बैंक के सदस्य हों या न हों, ऐसा मूल्य तय कर सकेगा जो कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो.''

thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called 'the Board' which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or may hereafter constitute to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating to not more than ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) to be added to the existing paid-up equity share capital of IDBI Bank in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank, whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/ or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times, in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices, in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों (इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारी'' के रूप में उल्लिखित) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (इसमें इसके पश्चात् ''अपेक्षित अनुमोदन'' के रूप में उल्लिखित) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जैसाकि आईसीडीआर विनियम, के अध्याय VIII में परिभाषित है) को एक या अधिक श्रृंखलाओं में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में, जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, नियोजन दस्तावेज और/या अन्य किसी दस्तावेजों/ प्रलेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से और ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, शर्तों और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 या तत्समय लागू कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए हों, के जरिए इस प्रकार इक्विटी शेयर जारी, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है कि किसी भी समय बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता 51% से कम न हो, बशर्ते कि इस प्रकार जारी इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के अध्यधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के संगत प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य से कम न हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के अंतर्गत केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों का आधार मूल्य तय करने की संगत तारीख सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार होगी तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत की जाएगी.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर या ऐसी छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, इक्विटी शेयर जारी कर सकता है. (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अधीन)''

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with Stock Exchanges, the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time, in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) [as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations] pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 or other provisions of law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived at in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI(ICDR) Regulations, 2009, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and that such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall be decided by the Board of Directors of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 [subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013]."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन और सूचीबद्धता को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी देते/ प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार भारत सरकार/ रिजर्व बैंक/ सेबी/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति व अधिकार बोर्ड को होगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, का निर्गम तथा आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन यथा प्रयोज्य किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना सार्वजनिक निर्गम की शर्तों तथा निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, का निर्धारण करने तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने के लिए, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझें तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, भिन्नता, परिवर्तनों, विलोपन, संवर्धन को स्वीकार और लागू करने, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और कि इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों) तथा/या ऐसी सभी एजेंसियों के साथ, जो इस प्रकार के इक्विटी के निर्गम में शामिल या उससे संबंधित हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए करार करने और उसे निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी संबंधित व्यवस्थाएं, करार ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board, in its absolute discretion, deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in their absolute discretion, deem necessary, proper or desirable and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and

के स्वरूप और शर्तों, साथ ही निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम या छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन), रिकॉर्ड तारीख या लेखा बंदी की तारीख नियत करना तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत में और / अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए व एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को शेयरधारकों या प्राधिकरणों से कोई अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व अभीष्ट समझें और शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और सभी दस्तावेज तथा लिखतों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, अभीष्ट और अत्यावश्यक समझें, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सेबी के दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जारी संबद्ध नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम और अन्य लागू कानून, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण, जो इस संबंध में अपेक्षित हो, से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसी शर्तों और निबंधनों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भाग में निजी तौर पर शेयर आबंटन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए तथा एतद्द्वारा सहमति दी जाती है.''

is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board, in its absolute discretion, deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise with regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may, in its absolute discretion, deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorities to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Chairman or Managing Director or to the Deputy Managing Director or Executive Director(s) or any other Senior Executive of the Bank, to give effect to the aforesaid Resolutions."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, SEBI guidelines, relevant Rules issued under the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any and subject to approvals, if any, required from the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for mobilisation in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक या बैंक के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में आवश्यक या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों तथा अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण में तथा अधिनियम और इसके बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों और साथ ही भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन के प्रयोजन से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के संस्था अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाए तथा एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है''

(i) अंतर्नियम 1 के बाद और अंतर्नियम 2 से पहले संस्था अंतर्नियमों में निम्नलिखित नया अंतर्नियम 1ए जोड़ा जाए:

''अंतर्नियम 1ए

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत और इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करेगी. जहां कहीं ये अंतर्नियम कंपनी अधिनियम, 1956 के निरसित प्रावधानों का संदर्भ देंगे, उक्त संदर्भ अथवा प्रावधान को इसके अंतर्गत बनाए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के तद्नुरूप लागू प्रावधान(नों) के संदर्भ के रूप में समझा तथा पढ़ा जाए और तदनुसार अनुपालन किया जाए.''

(ii) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116(1)(ए) को निम्नलिखित नए अंतर्नियम 116(1)(ए)(i) एवं (ii) से प्रतिस्थापित किया जाए :

अंतर्नियम 116(1)(ए)

कंपनी के निदेशक मंडल की रचना निम्नानुसार होगी :

(i) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष.

(ii) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

(iii) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 114(ए) को वर्तमान ''बारह'' निदेशकों के स्थान पर अधिकतम ''तेरह'' निदेशकों के प्रावधान के लिए संशोधित किया जाए.

(iv) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116ए(i) को वर्तमान में उपलब्ध 4 स्वतंत्र निदेशकों के स्थान पर स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सभी चयनित 5 निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति के लिए संशोधित किया जाए जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.

(v) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116ए(ii) को निम्नलिखित नए अंतर्नियम 116ए(ii) द्वारा परिवर्तित

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Chairman or Managing Director or Deputy Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions if any of the Act and Rules made thereunder and the Banking Regulation Act, 1949 and in order to comply with the provisions of the Act and Rules made thereunder as well as Government of India's directives, the Articles of Association of IDBI Bank Limited be and are hereby altered as follows :

(i) After the Article 1 and before the Article 2, the following new Article 1A be added in the Articles of Association :

"Article 1A

The company shall comply with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and in that regard, wherever these Articles give reference to the repealed provisions of the Companies Act, 1956, the same reference or provision be construed and read as the reference to the corresponding applicable provision(s) of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and complied accordingly."

(ii) The present Article 116(1)(a) of the Articles of Association be replaced by the following new Article 116(1)(a)(i) & (ii):

Article 116(1)(a)

The Board of Directors of the company shall consist of :

(i) a Non-Executive (Non-whole-time) Chairman appointed by the Central Government

(ii) a Managing Director & CEO appointed by the Central Government.

(iii) The present Article 114(a) of the Articles of Association be modified to provide for "thirteen" maximum Directors on the Board instead of "twelve" presently provided.

(iv) The present Article 116A(i) of the Articles of Association be modified to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)] as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided.

(v) The present Article 116A(ii) of the Articles of Association be altered and replaced by the

तथा प्रतिस्थापित किया जाए :

''अंतर्नियम 116 ए (ii)

इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतर्नियम 116ए(i) के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों में से एक महिला निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(बी) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में नियुक्त की जाएंगी. ऐसा संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड में पहले से किसी महिला निदेशक के नियुक्त/नामित नहीं होने पर होगा.''

बोर्ड के आदेश से

**(एम. एस. राघवन)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
(डीआईएन 05236790)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

दिनांक : 4 जून 2015

following new Article 116A(ii) :

"Article 116A(ii)

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, out of the 5 Directors prescribed under Article 116(1)(e) read with Article 116A(i), one Woman Director shall be appointed on the Board to comply with the provisions of Section149(1)(b) of the Companies Act, 2013, unless a Woman Director is already on the Board appointed / nominated under Article 116(1)(a) to 116(1)(d) of the Articles of Association."

By Order of the Board

**(M.S. Raghavan)**
**Chairman & Managing Director**
(DIN 05236790)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400005

Dated : June 04, 2015

**टिप्पणियां :**

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें मत देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में मत देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

**NOTES:**

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.
2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting or voting through physical ballot form by post. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

(क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

(ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

(ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में शामिल होते समय अपनी पहचान का प्रमाण देना होगा तथा इस उद्देश्य के लिए बैठक में शामिल होते समय उस व्यक्ति को अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या वोटर आईडी या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट रखना होगा.

(घ) यदि किसी व्यक्ति को 50 से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है तो वह किन्हीं भी पचास सदस्यों को चुन कर बैंक को निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि शुरूहोने से पहले अर्थात् मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पहले उसकी पुष्टि करेगा. यदि वह प्रॉक्सी सूचना नहीं देता है तो बैंक प्रथम प्राप्त 50 प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

3. सदस्यों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष,

(a) it is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

(b) it is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving License or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

(d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3:30 p.m. (IST) on Tuesday, August 11, 2015. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting at the commencement of business.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd.

20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

ii) बैंक वोटिंग के लिए डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म या वार्षिक महासभा में मतदान पेपर के माध्यम से वैकल्पिक सुविधा भी प्रदान कर रहा है और एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग या भौतिक मतपत्र पेपर द्वारा डाक के माध्यम से अपने वोट नहीं दिए हैं, वे वार्षिक महासभा में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे.

iii) ऐसे सदस्य जो वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग या भौतिक मतपत्र के माध्यम से डाक द्वारा अपने वोट दे चुके हैं, और 5 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख तक बैंक के सदस्य बने हुए हैं, वे भी वार्षिक महासभा में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.

iv) लॉगिन आईडी के विवरण इस सूचना के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूचीबद्धता करार के खंड 35बी की शर्तों के अनुसार, ऐसे शेयरधारक जिनके पास ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें मतदान के लिए भौतिक मतपत्र फॉर्म की सुविधा प्रदान की जाएगी.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **गुरुवार, 06 अगस्त 2015 से लेकर बुधवार, 12 अगस्त 2015** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई शेयरधारकों, जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **05 अगस्त 2015** (अंतिम दिन) को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं, जो तारीख रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देकर किया जाएगा. यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो भौतिक रूप में धारित शेयर के लिए लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्य रजिस्टर बही में दर्ज हैं तथा जिनके वैध शेयरों का अंतरण बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के पास **05 अगस्त 2015** तक या उससे पहले दर्ज हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों

at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No.(022) 66552779, 66553062, 66553336, Fax No.(022) 22182352, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;

i) the items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

ii) The Bank is also providing facility for voting alternatively through Physical Ballot Form by post or through polling paper at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting or by Physical Ballot paper through post shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.

iii) The members who have cast their vote by remote e-voting or through Ballot paper by post prior to the AGM, and continue to be Members of the Bank as on cut-off date of August 5, 2015 may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

As aforesaid, in terms of Clause 35B of the Listing Agreement, Physical Ballot Forms are being simultaneously provided for voting by the shareholders who do not have access to e-voting facility.

9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, August 06, 2015 to Wednesday, August 12, 2015** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **August 05, 2015** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting through Physical Ballot Form by post or by voting at the AGM. The dividend, if declared, in the Annual General Meeting will be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Members of the Bank after giving effect to all valid share transfers lodged with the Registrar & Transfer Agents of the Bank on or before **August 05, 2015** in respect

को किया जाएगा जो नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (सीएसडीएल) द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत विवरणों के अनुसार **05 अगस्त 2015** को कारोबार की समाप्ति पर शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

**[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.**

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी और फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फाइल में ई- वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder 'Login' पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. 'Login' पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनके संयोजन से युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. 'e-Voting'- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **शनिवार, 08 अगस्त 2015 (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 12:00 बजे) को शुरू होगी और मंगलवार, 11 जून 2015 को समाप्त होगी (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे).**

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दे, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, 'Vote Cast Successfully' संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

of shares held in physical form. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be payable to the persons who are Beneficial Owners of shares as at the closing hours of **August 05, 2015** as per the details furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for this purpose.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

**[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and who do not have their existing user id and password.**

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://www.evoting.nsdl.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Saturday, August 08, 2015 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

**[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हैं.**

i. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर खोलें.

ii. Shareholder Login पर क्लिक करें
अपना यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें *(यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'Forgot User Details/ Password' का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)*

iii. 'Login' पर क्लिक करें.

iv. 'e-Voting' का होम पेज प्रदर्शित होगा. e-Voting - Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता. ईवीईएन के लिए, आप संकल्प पर वोट करने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात् **11 अगस्त 2015 को शाम 5:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार),** जो भी पहले हो, एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं.) मतदान अवधि **शनिवार, 08 अगस्त 2015 को पूर्वाह्न 12:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरूतथा मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी.**

vi. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, '**Submit**' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर '**Confirm**' पर क्लिक करें.

viii. यदि आपने संकल्प पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधित प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को **scrutinizer@snaco.net** के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति **evoting@nsdl.co.in** को भेजें.

**[ग] ऐसे व्यक्तियों के लिए ई - वोटिंग के संबंध में अनुदेश जो महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 26 जून 2015 से 05 अगस्त 2015 (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) तक की अवधि के दौरान बैंक के सदस्य बने हुए हैं;**

जिन व्यक्तियों ने 26 जून 2015 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 05 अगस्त 2015 (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 05 अगस्त 2015 की उक्त निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य बने हुए हैं; वे रिमोट ई - वोटिंग अथवा डाक द्वारा भौतिक मतपत्र अथवा महासभा में मतदान पत्र के जरिए

**[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of NSDL**

i. Launch internet browser by typing URL: https://www.evoting.nsdl.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password *(If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/ Password" option available on www.evoting.nsdl.com)*

iii. Click Login.

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item (s) of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified. For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5:00 p.m. (IST) of August 11, 2015,** whichever is earlier. Voting period commences on and from **Saturday, August 08, 2015 (12:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST)**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in**

**[C] Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of AGM Notice, i.e., June 26, 2015 and upto August 05, 2015 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)**

Persons who have acquired shares during the period from June 26, 2015 (Cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 05, 2015 (Cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members

अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई - वोटिंग के जरिए मतदान करना चाहते हैं, वे अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो नं. या डीपीआईडी / ग्राहक आईडी नं. आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि यदि आप रिमोट ई - वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details / Password' का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार नियत तारीख, यथा दिनांक 05 अगस्त 2015 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकता हैं, परंतु उसे महासभा में फिर से मत देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें.
- कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद हो जाएगी.
- जो व्यक्ति 05 अगस्त 2015 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं उनके लिए यह नोटिस केवल सूचनार्थ है.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552779/ 3336/ 3062) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

10. सूचीबद्धता करार के खंड 35बी के निबंधनों के अनुसार, जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग सुविधा नहीं है, वे स्व-संबोधित डाक-व्यय पूर्व-प्रदत्त लिफाफे में महासभा की इस सूचना के साथ संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में अपनी लिखित सहमति या असहमति इस

as on the said cut-off date of August 05, 2015, can exercise their voting right through remote e-voting or physical Ballot Form by post or polling paper at the AGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details viz., Name, shares held, Folio no. or DP ID / Client ID no., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 05, 2015.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Tuesday, August 11, 2015 at 5:00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 05, 2015, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 6716 2222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3336 /3062) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

10. In terms of Clause 35B of the Listing Agreement, those members, who do not have access to e-voting facility, may send their assent or dissent in writing on the physical Ballot Form attached with this AGM Notice in the enclosed self-addressed postage pre-paid

प्रकार भेजें कि वह मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एंड कं., द्वारा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापूर, हैदराबाद - 500 081 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] के पते पर संवीक्षक के पास **11 अगस्त 2015 को (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे)** या उससे पहले प्राप्त हो जाए. इस तारीख के बाद प्राप्त किसी भी मतपत्र को यह माना जाएगा कि सदस्य से कोई उत्तर नहीं मिला है.

11. जिन सदस्यों ने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग/ डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के जरिए अपने मत नहीं डाले हैं, उन्हें महासभा के आयोजन स्थल पर अपने मत डालने के लिए मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे.

12. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 14 अगस्त 2015 को बैंक की वेबसाइट www.idbi.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित कर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी प्रकट किए जाएंगे.

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक सहभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है. अत: इलेक्ट्रोनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन नंबर उस डिपॉजिटरी सहभागी को प्रस्तुत करें जिसके पास उनका डीमैट खाता है. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक/ कार्वी को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

14. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 तक घोषित अप्रदत्त या अदावी लाभांश केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ़) को समय-समय पर नियत तारीखों को अंतरित किया है. आईईपीएफ़ (कंपनियों के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावी राशि से संबंधित सूचना अपलोड करना) नियम, 2012 के अनुसरण में बैंक ने यथा 30 जून 2014 (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) को बैंक के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावी राशियों के विवरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.idbi.com पर और साथ ही कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.iepf.goi.in पर भी अपलोड किए हैं.

**महत्वपूर्ण टिप्पणी :**

**सदस्यों द्वारा 05 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख (महासभा में सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्धारित) से पहले डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के जरिए डाले गए मत, यदि कोई हों, तभी वैध होंगे और गिने जाएंगे जब उक्त सदस्य 05 अगस्त 2015 की उक्त निर्दिष्ट तारीख को अपनी शेयरधारिता जारी रखते हैं और उनका नाम सदस्य बहियों में दर्ज है अथवा शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.**

**अत: यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ अथवा डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के जरिए वोटिंग या महासभा में वोटिंग हेतु केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा उपर्युक्त नियत दिनांक 05 अगस्त 2015 को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.**

envelope so as to reach the Scrutinizer at the address M/s. S. N. Anantasubramanian & Co., C/o Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No. 17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081. [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] on or **before August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).** Any Ballot Form received after this date and time will be treated as if the reply from the member has not been received.

11. Polling Papers will be provided to the Members who have not cast their vote earlier through remote e-voting/ Physical Ballot by post, to cast their vote at the venue of AGM.

12. The result of e-voting alongwith Scrutinizer's Report will be announced on August 14, 2015 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.com and NSDL's website **www.evoting.nsdl.com.** Further, the result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) on the same day.

13. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to the Bank/ Karvy.

14. The Bank has transferred the unpaid or unclaimed dividend declared upto Financial Year 2006-07, from time to time on due dates, to the Investor Education and Protection Fund (the IEPF) established by the Central Government. Pursuant to the provisions of IEPF (uploading of Information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012, the Bank has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Bank as on June 30, 2014 (Date of last Annual General Meeting) on the website of the Bank, i.e., www.idbi.com and also on the website of Ministry of Corporate Affairs, i.e., www.iepf.gov.in

**IMPORTANT NOTE:-**

**The votes, if any, cast by the Members through Physical Ballot Form by post before the cut-off date of August 05, 2015 (fixed for reckoning voting rights of Members at the AGM) will be valid and counted only if the said Members(s) continue to hold their shares and appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the said cut-off date of August 05, 2015.**

**Thus, it is once again clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of August 05, 2015, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Physical Ballot Form by post or voting at the AGM.**

# नोटिस का अनुबंध

## सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

### 1. सूचना की मद संख्या 2

निदेशक मंडल ने 26 मई 2015 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 0.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा की.

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश घोषित किया जाता है तो ₹ 0.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश 09 सप्टेंबर 2015 की भुगतान तारीख को उसकी घोषणा से 30 दिन के भीतर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को अदा कर दिया जाएगा जिनके नाम 05 अगस्त 2015 को या इसके पूर्व बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अंतरण के लिए प्रस्तुत सभी वैध शेयर अंतरणों को लागू करने के बाद बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत ब्योरों के आधार पर 05 अगस्त 2015 को कारोबार की समाप्ति पर शेयरों के हिताधिकारी स्वामियों को लाभांश देय होगा.

### 2. सूचना की मद सं. 3

बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार नियुक्त किए गए एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. इस नियुक्ति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत शेयरधारकों की महासभा में साधारण संकल्प पारित करके अभिपुष्टि की जानी अपेक्षित है. मेसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कं., सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू) और मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कं., सनदी लेखाकार, पुणे (आईसीएआई पंजीकरण सं.100515डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक का संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मेसर्स अशोक कपूर एंड एसोसिएट्स को रिज़र्व बैंक से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 11वीं वार्षिक महासभा की कार्यवाही पूरी होने तक बने रहेंगे. बैंक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध करेगा. भारतीय रिज़र्व बैंक से इस संबंध में बैंक को बाद में सूचित करेगा. अतः यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके वार्षिक महासभा द्वारा बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने और भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए

# ANNEXURE TO THE NOTICE

## Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

### 1. Item No. 2 of the Notice

The Board of Directors has, at their meeting held on May 26, 2015, recommended Dividend for the FY 2014-15@ ₹ 0.75 per equity share on the fully paid up equity share capital.

If declared at the Annual General Meeting, the Dividend @ ₹ 0.75 per equity share will be paid within 30 days of declaration thereof on the payment date of September 09, 2015 to those shareholders whose names appear on the Register of Members of the Bank after giving effect to all valid share transfers lodged with the Registrar & Share Transfer Agents of the Bank on or before August 05, 2015, in respect of shares held in physical form. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be payable to the beneficial owners of shares as at the closing hours of August 05, 2015 as per the details furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for this purpose.

### 2. Item No. 3 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, who may be appointed by the Bank with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. The appointment is required to be ratified in the general meeting of the shareholders by passing Ordinary Resolution under Section 139 of the Companies Act, 2013. M/s. Khimji Kunverji & Co., Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No.105146W) & M/s. G.D Apte & Co., Chartered Accountants, Pune (ICAI Regn. No.100515W) were re-appointed as Joint Statutory Auditors of the Bank for the FY 2014-15 and M/s. Ashok Kapur & Associates was re-appointed as Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2014-15 in terms of RBI approval received in this regard. These Auditors will hold office till the conclusion of the 11th AGM. The Bank would be requesting Reserve Bank of India for appointment of the Joint Statutory Auditors. The Reserve Bank of India would advise the Bank in this regard later. Therefore, it is proposed that by passing ordinary resolution under section 139 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Board may be authorized by the AGM, to appoint Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2015-16 and appoint Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2015-16 in terms of Section

डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत किया जाएगा. तदनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित है.

**3. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण**

(i) बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी ₹ 16039576050/- है जिसमें प्रवर्तकों की शेयरधारिता 76.50% तथा जनता की शेयरधारिता 23.50% है. समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक को टियर I पूंजी को बनाए रखने की आवश्यकता है. बैंक की चालू विस्तार योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग आदि के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 30 जून 2014 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 29 जून 2015 तक वैध है.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा. तथापि, केंद्र सरकार की बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में धारिता किसी भी समय इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए प्रस्तावित है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) और सूचीबद्धता करार की धारा 23 की उप-धारा (ए) के तहत यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा दुबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को उसे आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार से इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम तथा निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी आदि के जरिए इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है. अधिमान निर्गम के मामले में (i) शेयर प्रवर्तक, भारत सरकार तथा/या सेबी (आईसीडीआर)विनियम, 2009 के अध्याय VII के अधीन अनुमत अन्य क्यूआईबी, यदि कोई है, को जारी किए जाएंगे. (ii) अधिमान निर्गम के मूल्य निर्धारण के लिए संगत तारीख इस वार्षिक महासभा

143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received from RBI in this regard. The terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The Ordinary Resolution as contained at Item No.3 of the AGM Notice is accordingly proposed to be passed by the shareholders.

**3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.4 of the Notice**

(i) The present Paid up capital of the Bank is ₹16039576050/- with Promoters' shareholding of 76.50% and Public shareholding of 23.50%. The Bank is required to maintain its Tier-I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on June 30, 2014 for Issue of Capital under QIP route, etc., is valid only for one year upto June 29, 2015 in terms of SEBI(ICDR) Regulations, 2009 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid–up equity capital of the Bank.

(iii) The Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013. Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 and Sub-Clause (a) of Clause 23 of the Listing Agreement provide that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro- rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares by way of public issue, rights issue, preferential issue, issue on private placement basis, QIP, etc. In case of preferential Issue, (i) the shares will be issued to the Promoter, Govt. of India and/ or other QIBs, if any, as permitted under chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations 2009; (ii) the Relevant Date for pricing of the preferential issue shall be 30

की तारीख से 30 दिन पूर्व अर्थात् 13 जुलाई 2015 होगी; (iii) निर्गम के मूल्य की गणना 13 जुलाई 2015 की संगत तारीख के आधार पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम के खंड 76 के अनुसार की जाएगी, (iv) अधिमान निर्गम से पूर्व तथा बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप ₹16039576050/- की वर्तमान प्रदत्त पूंजी और इस संकल्प के निबंधनों के अनुसार बैंक द्वारा आबंटित कुल ₹ 6000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक की राशि के लिए आबंटित शेयरों की वास्तविक संख्या होगी.

(v) अधिमान निर्गम का कार्य इस संकल्प से 15 दिनों के भीतर या अधिमान निर्गम के अभिदान हेतु भारत सरकार के अनुमोदन या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.

(vi) लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस संकल्प के प्राधिकार के अधीन अधिमान निर्गम का अनुमोदन किया जाना है. इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vii) यह संकल्प सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में परिभाषित रूप में पात्र संस्थागत क्रेताओं के पास पात्र संस्थागत नियोजन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देता है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से बिना नया अनुमोदन प्राप्त किए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(viii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि ''संगत तारीख'' से पहले के दो सप्ताहों में स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के उद्धृत मूल्यों के साप्ताहिक न्यूनतम ओर अधिकतम मूल्यों के औसत बंद मूल्य से कम न हो. बोर्ड सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित, कंपनी अधिनियम की धारा 53 की शर्त पर, 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसे किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(ix) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(x) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक सीमित रहेगी.

days prior to the date of this AGM, i.e., July 13, 2015; (iii) pricing of the issue shall be calculated as per clause 76 of the SEBI (ICDR) Regulations based on the Relevant Date of July 13, 2015; (iv) the shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue shall be the existing paid-up capital of ₹ 16039576050/- plus the actual number of shares allotted by the Bank aggregating upto ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) in terms of this Resolution;

(v) The preferential issue shall be completed within 15 days of this Resolution or within 15 days of any statutory/ regulatory approval or the approval of GoI for subscription to this preferential issue; and

(vi) Auditors certificate shall be placed before the Board Meeting which approves the Preferential Issue under the authority of this Resolution. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vii) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI(ICDR) Regulations, 2009. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(viii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to Section 53 of the Companies Act, 2013.

(ix) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(x) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(xi) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) अतः उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस प्रयोजन के लिए बैंक को शेयरधारकों से एक विशेष संकल्प के जरिए सहमति लेनी आवश्यक है. अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर शेयरधारकों की सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार यह प्रस्तुत है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/बांडधारिता, (यदि कोई हो) की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

## 4. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

(i) बोर्ड ने दिनांक 04 मार्च 2015 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भागों में शेयरों के निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ की रुपया बांड निर्गम सीमा अनुमोदित की है.

(ii) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण-पत्र और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence, Shareholders' consent is requested for the above proposal. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No.4 in the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding/bondholding, if any, in IDBI Bank.

## 4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

(i) The Board, at its meeting held on March 04, 2015, has approved a rupee bond issuance limit of ₹ 20,000 crore for FY 2015-16 comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III compliant Tier II /Additional Tier I Bonds by way of private placement/public issue during FY 2015-16 or during one year from the date of passing of this resolution, whichever is later, in one or more tranches.

(ii) In terms of Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, private placement of securities will require previous approval of the shareholders by Special

से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी. परंतु अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में वर्ष भर के सभी प्रस्तावित निर्गमों के संबंध में इस प्रकार का अनुमोदन वर्ष के आरंभ में ही लिया जाए.

(iii) निर्गमों की कीमत का निर्धारण प्रत्येक निर्गम के समय ही किया जा सकता है. घरेलू बाजार में निर्गम की कीमत का निर्धारण बाजार की वर्तमान स्थितियों और बैंक के लिए समग्र उधार लागत पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा.

तदनुसार, निदेशक मंडल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विशेष संकल्प पारित करके शेयरधारकों से उनके अनुमोदन की मांग करता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/ बांडधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

## 5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

(i) आईडीबीआई बैंक का वर्तमान संस्था अंतर्नियम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन आईडीबीआई को आईडीबीआई लिमिटेड के रूप में निगमित करते समय तैयार किया गया और कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के पास उसका पंजीकरण किया गया तथा इसमें कंपनी अधिनियम 1956 और उसकी विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के संदर्भ हैं. केंद्र सरकार ने नए कंपनी अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया है और उसके प्रावधान 12 सितंबर 2013/ 01 अप्रैल 2014 से लागू हैं तथा आईडीबीआई बैंक ने नए अधिनियम के लागू प्रावधानों का अनुपालन शुरू कर दिया है. संस्था अंतर्नियम का अनुपालन करते समय किसी भ्रांति से बचने के लिए एक नया अंतर्नियम 1ए (विशेष संकल्प में दिया गया है) जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाता है जो यह स्पष्ट करता है कि जहां भी वर्तमान अंतर्नियम पुराने कंपनी अधिनियम 1956 के निरस्त प्रावधानों का संदर्भ दे, वहां उसे उसके अधीन बनाए गए नियम के साथ पठित नए कंपनी अधिनियम 2013 के तदनुरूपी लागू प्रावधानों के संदर्भ के रूप में समझा और पढ़ा जाए तथा तदनुसार उसका अनुपालन किया जाए.

(ii) भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के वर्तमान पद को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के 2 पदों में विभाजित किया जाए तथा तदनुसार इसके प्रावधान के लिए अंतर्नियम 116(1)(ए) को परिवर्तित किया जाए.

Resolution. Provided that in case of non-convertible debentures, such approval may be taken in the beginning of the year in respect of all proposed issues during the year.

(iii) The pricing of the issuances can be decided only at the time of each issue. The pricing of the issuance in the domestic market would be decided based on the prevailing market conditions and its impact on overall cost of borrowing for the Bank.

Accordingly, Shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing of the Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No. 5 in the notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding / bondholding, if any, in IDBI Bank.

## 5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.6 of the Notice

(i) The present Articles of Association of IDBI Bank were prepared and registered with the ROC, Maharashtra at the time of incorporation of IDBI as IDBI Ltd. under the Companies Act, 1956 and contain references to the provisions of the Companies Act, 1956 and various sections thereof. Central Government has notified the new Companies Act, 2013 and the provisions have come into effect from September 12, 2013 / April 01, 2014 and IDBI Bank has begun to comply with the applicable provisions of the new Act. In order to avoid any confusion while complying with Articles of Association, it is proposed to add a new Article 1A (given in the Special Resolution), clarifying that wherever the present Articles give reference to the repealed provisions of the old Companies Act, 1956, the same be construed and read as reference to the corresponding applicable provisions of the new Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and complied accordingly.

(ii) To comply with Government of India's directives, it is proposed to separate the present post of Chairman & Managing Director (CMD) into 2 posts of a Chairman and a Managing Director & CEO and accordingly alter Article 116(1)(a) to provide for the same.

(iii) परिणामस्वरूप, अंतर्नियम 114(ए) को भी परिवर्तित किया जा रहा है ताकि 12(बारह) निदेशकों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर बोर्ड में अधिकतम 13(तेरह) निदेशकों के लिए प्रावधान किया जा सके.

(iv) परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) के अनुपालन में यह प्रस्तावित किया जाता है कि 4 स्वतंत्र निदेशकों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर सभी 5 चयनित निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया जाए, क्योंकि स्वतंत्र निदेशक क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होते हैं और विशेष संकल्प में दिए अनुसार अंतर्नियम 116ए(i) को परिवर्तित किया जाए.

(v) संस्था के अंतर्नियम के नियम 116ए(ii) में उल्लिखित महिला निदेशक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि उक्त अंतर्नियम को विशेष संकल्प में दिए अनुसार नए/परिवर्तित अंतर्नियम 116ए(ii) से प्रतिस्थापित किया जाए.

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अनुसार संस्था के अंतर्नियम में नए अंतर्नियम 1ए को निगमित करने और अंतर्नियम 114(ए), 116(1)(ए), 116ए(i), एवं 116ए(ii) को परिवर्तित करने के लिए वार्षिक महासभा सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित किया जाए. यह उल्लेख किया जाता है कि पूर्वोक्त विशेष संकल्प को पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कोई भी वित्तीय या अन्य सरोकार या हित नहीं है.

बोर्ड के आदेश से

**(एम. एस. राघवन)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
(डीआईएन 05236790)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005

दिनांक : 4 जून 2015

(iii) Consequently Article 114(a) is also being altered to provide for 13 (thirteen) maximum Directors on the Board instead of 12 (twelve) presently provided.

(iv) Consequently, in compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013, it is proposed to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)], as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided and alter Article 116A(i) as given in the Special Resolution.

(v) To clarify the provisions for appointment of a Woman Director as provided under Article 116A(ii) of the Articles of Association, it is proposed to replace the said Article with new/altered Article 116A(ii) as given in the Special Resolution.

It is therefore proposed to pass the Special Resolution contained under Item No.6 of the AGM Notice for incorporating new Article 1A and alter Articles 114(a), 116(1)(a), 116A(i) and 116A(ii) of the Articles of Association in terms of Section 14 of the Companies Act, 2013. It may be mentioned that no Director or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid Special Resolution.

By Order of the Board

**(M.S. Raghavan)**
**Chairman & Managing Director**
(DIN 05236790)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

Dated: June 04, 2015

(iii) Consequently, Article 114(4) is also being altered to provide for a minimum Directors on the Board instead of 12 (twelve) as provided.

(iv) Consequently, in compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013, it is proposed to provide for appointment of all 5 elected directors [presently under Art. 116(1)(c)] as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided and alter Article 116A(i) as given in the Special Resolution.

(v) To clarify the provisions for appointment of a Woman Director as provided under Article 116A(ii) of the Articles of Association, it is proposed to replace the said Article with new altered Article 116A(ii) as given in the Special Resolution.

It is therefore proposed to pass the Special Resolution contained under Item No. 6 of the AGM Notice for incorporating new Article 114 and alter Articles 114(a), 116(1)(a), 116A(i) and 116A(ii) of the Articles of Association in terms of Section 14 of the Companies Act, 2013. It may be mentioned that no Director or Key Managerial Personnel of IDBI Bank / their relatives, whether directly or indirectly, is/are concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid Special Resolution.

By Order of the Board

(M.S. Raghavan)
Chairman & Managing Director
(DIN 05239780)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

Dated: June 04, 2015

IDBI BANK

# आईडीबीआई बैंक लि.

**फॉर्म सं. एमजीटी-11**

**प्रॉक्सी-फॉर्म**

*[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3)* के अनुसार]

CIN: L65190MH2004GOI148838

कंपनी का नाम : आईडीबीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005

| | |
|---|---|
| सदस्य(यों) का/के नाम | : |
| पंजीकृत पता | : |
| ईमेल आईडी | : |
| फोलियो सं./ ग्राहक आईडी | : |
| डीपी आईडी | : |

मैं/हम,ऊपर उल्लिखित कंपनी के _____ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____ को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,

2. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____ को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,

3. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____

**यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021, में 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली** और उसके किसी स्थगन पर आयोजित होनेवाली **बैंक की ग्यारहवीं वार्षिक महासभा** में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं:

**संकल्प संख्या:**

1. यथा दिनांक 31 मार्च 2015 को आईडीबीआई बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (सामान्य संकल्प).
2. वर्ष 2014-15 के लिए सदस्यों को प्रति शेयर की ₹ 0.75 दर से देय लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प).
3. वर्ष 2015-16 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प (साधारण संकल्प).
4. क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न तरीकों के माध्यम से कुल ₹ 6000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन संकल्प (साधारण संकल्प).
5. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भागों में शेयरों के निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत संकल्प (विशेष संकल्प).
6. आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम में संशोधन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन विशेष संकल्प.

दिनांक _____ माह _____ 2015 को हस्ताक्षरित.

रेवेन्यु स्टाम्प लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर : _____

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर :

**टिप्पणी:** इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् सोमवार, 10 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे तक या इससे पहले)बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.

**IDBI Bank Limited**

**Form No. MGT-11**
**Proxy Form**

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**CIN:L65190MH2004GOI148838**

Name of the company : IDBI Bank Ltd.

Registered office : IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

| | |
|---|---|
| Name of the member (s) | : |
| Registered address | : |
| E-mail Id | : |
| Folio No/ Client Id | : |
| DP ID | : |

I/We, being the member (s) of _____ shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:_____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____, or failing him
2. Name: _____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____, or failing him
3. Name: _____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **11th Annual General Meeting of the Bank, to be held on the 12th day of August 2015 at 3:30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

**Resolution No.**

1. Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2015 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution)
2. Declaration of Dividend @ ₹ 0.75 per share for the year 2014-15 payable to Members (Ordinary Resolution)
3. Resolution authorising the Board of Directors to appoint Joint Statutory Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2015-16 (Ordinary Resolution)
4. Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution)
5. Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/ Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/Additional Tier 1 Bonds, by way of Private Placement/Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later (Special Resolution)
6. Special Resolution u/s 14 of the Companies Act, 2013 for amendment to Articles of Association of IDBI Bank

Signed this _____ day of_____ 2015

Affix Revenue Stamp

Signature of shareholder: _____

Signature of Proxy holder(s)

**Note:** This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. (i.e. on or before 3:30 p.m. on Monday, August 10, 2015).

IDBI BANK

# आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005, फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352, ईमेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाईट : www.idbi.com]

## भौतिक डाक मतपत्र फॉर्म (वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग के बदले में)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | एकल/ प्रथम सदस्य का नाम | |
| 2 | संयुक्त सदस्य(यों), यदि कोई हों, का/के नाम | |
| 3 | पंजीकृत फोलियो सं./ डीपी आईडी सं./ ग्राहक आईडी सं. | |
| 4 | धारित शेयरों की संख्या | |

मैं/हम, एतद्द्वारा बैंक की 4 जून 2015 की वार्षिक महासभा सूचना में उल्लिखित कारोबार हेतु ई-वोटिंग/ भौतिक डाक मतपत्र/ मतदान फॉर्म के माध्यम से पारित किए जाने वाले संकल्प(पों) के संबंध में, निम्न में से उचित बॉक्स में टिक (✓) चिह्न लगाकर उक्त संकल्प(पों) से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, मेरे/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा/रही हूँ/रहे हैं.

| मद सं. | विवरण | मेरे द्वारा धारित शेयरों की संख्या | मैं संकल्प से सहमत हूँ | मैं संकल्प से असहमत हूँ |
|---|---|---|---|---|
| 1.* | यथा दिनांक 31 मार्च 2015 के आईडीबीआई बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (सामान्य संकल्प). | | | |
| 2.* | वर्ष 2014-15 के लिए सदस्यों को ₹ 0.75 प्रति शेयर की दर से देय लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प) | | | |
| 3.* | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1-ए) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और धारा 143(8) के निबंधनों के अनुसार रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना (साधारण संकल्प) | | | |
| 4.* | क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न तरीकों के माध्यम से कुल ₹ 6000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए प्राधिकार देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन संकल्प पारित करना (साधारण संकल्प). | | | |
| 5.* | वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भागों में शेयरों के निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर / इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए प्राधिकार देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत संकल्प पारित करना (विशेष संकल्प) | | | |
| 6.* | आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम में संशोधन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन निम्नानुसार विशेष संकल्प पारित करना :<br>(i) संस्था के अंतर्नियम में नए अंतर्नियम 1ए को इस व्यवस्था के लिए शामिल करना कि कंपनी अधिनियम, 1956 के पुराने प्रावधानों के बारे में अंतर्नियमों के सभी संदर्भों को कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू सम्बद्ध प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप समझा और पढ़ा जाएगा तथा तदनुरूप पालन किया जाएगा.<br>(ii) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को पृथक कर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दो अलग पद करने के लिए वर्तमान अंतर्नियम 116(1)(ए) में संशोधन किया जाए. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (iii) इसके फलस्वरूप, बोर्ड में वर्तमान ''बारह'' निदेशकों के स्थान पर अधिकतम ''तेरह'' निदेशकों की व्यवस्था के लिए वर्तमान अंतर्नियम 114(ए) में संशोधन किया जाए.<br>(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुपालन में 4 स्वतंत्र निदेशकों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5 चयनित निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति, जो क्रमावर्ती आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, के प्रावधान के लिए अंतर्नियम 116ए(i) में संशोधन किया जाए.<br>(v) यह स्पष्ट करने के लिए वर्तमान अंतर्नियम 116ए(ii) में संशोधन किया जाए कि संस्था के अंतर्नियम 116ए(i) के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों में से एक महिला निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(बी) द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में नियुक्त की जाएंगी. ऐसा संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड में पहले से किसी महिला निदेशक के नियुक्त/नामित नहीं होने पर होगा. | | | |

* विस्तृत संकल्प तथा व्याख्यात्मक विवरण के लिए कृपया वार्षिक महासभा की दिनांक 4 जून 2015 की एजीएम सूचना का संदर्भ लें.

स्थान:

**दिनांक:** **(सदस्य के हस्ताक्षर)**

नोट : कृपया फॉर्म भरने से पहले पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित अनुदेशों को पढ़ लें. संवीक्षक द्वारा डाक के माध्यम से भौतिक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख **मंगलवार, 11 अगस्त 2015 (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे)** है.

## अनुदेश

1. सूचीबद्धता करार के खंड 35 बी के अनुसार, वे सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग सुविधा के लिए एक्सेस नहीं है, वे भौतिक मतपत्र फॉर्म पर अपनी सहमति या असहमति लिखित रूप में भेज सकते हैं.
2. भौतिक मतपत्र द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्य इस भौतिक मतपत्र फॉर्म को पूरा भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और स्व संबोधित और पहले से प्रदत्त डाक-शुल्क वाले लिफाफे में भरकर भेज दें, ताकि यह नीचे लिखे अनुदेश 6 के अनुसार, मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., द्वारा कार्वी कम्प्युटरशेयर प्रा. लि., इकाई: आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापूर, हैदराबाद-500 081 पते पर संवीक्षक तक पहुँच जाए. डाक खर्च बैंक द्वारा वहन और अदा किया जाएगा. व्यक्तिगत रूप से जमा या सदस्यों के खर्च पर कूरियर द्वारा भेजे गए डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी स्वीकार किए जाएंगे.
3. स्व-संबोधित लिफाफे पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त संवीक्षक का नाम और वहाँ का पता हो जहां भौतिक मतपत्र फॉर्म भेजा जाना है.
4. भौतिक मतपत्र फॉर्म पूर्ण रूप में भरा जाए और सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएं. संयुक्त शेयरधारिता के मामले में इस फॉर्म को पूर्ण रूप में भरा जाए तथा प्रथम नामित सदस्य द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में अगले नामित सदस्य(यों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए. अहस्ताक्षरित भौतिक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. भौतिक मतपत्र फॉर्म पर किया गया हस्ताक्षर बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए.
5. जहां भौतिक मतपत्र फॉर्म पर कॉरपोरेट निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, ऐसे मामले में, भौतिक मतपत्र के माध्यम से वोट देने से संबंधित प्राधिकार की अधिप्रमाणित प्रति भौतिक मतपत्र फॉर्म के साथ संलग्न की जाए. कोई सदस्य विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अटर्नी के माध्यम से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है तथा ऐसे मामले में भौतिक मतपत्र फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की एक अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए.
6. विधिवत् रूप से भरा हुआ भौतिक मतपत्र फॉर्म **मंगलवार, 11 अगस्त 2015** को शाम 5 बजे (आईएसटी) तक संवीक्षक तक पहुँच जाना चाहिए. इस समय और तारीख के बाद प्राप्त किए गए किसी भौतिक मतपत्र फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि सदस्य का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है.
7. सदस्य आवश्यक होने पर डुप्लिकेट भौतिक मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं या उसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.comसे डाउनलोड कर सकते हैं. तथापि, विधिवत् भरा हुआ डुप्लिकेट भौतिक मतपत्र फॉर्म ऊ पर अनुदेश सं. 6 में विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक तक पहुँच जाना चाहिए.
8. मताधिकार की संगणना, बुधवार 05 अगस्त 2015 को, जो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख है, सदस्यों के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जाएगी.
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे संलग्न स्व-संबोधित और पहले से प्रदत्त डाक-शुल्क वाले लिफाफे में भौतिक मतपत्र फॉर्म के साथ कोई अन्य कागजात न भेजें, क्योंकि इस प्रकार के सभी लिफाफों को संवीक्षक को भेजा जाएगा और उनमें प्राप्त किसी अन्य अतिरिक्त कागज को संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा.
10. प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही भौतिक मतपत्र फॉर्म होगा चाहे संयुक्त सदस्य(यों) की कुल संख्या कितनी भी हो.
11. किसी सदस्य को सभी मतों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी मतों का प्रयोग एक ही ढंग से करने की आवश्यकता है.
12. भौतिक मतपत्र की वैधता के संबंध में संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
13. अधूरे, अहस्ताक्षरित या गलत भौतिक मतपत्र फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
14. वार्षिक महासभा की तारीख वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग/ भौतिक मतपत्र/ मतदान पेपर द्वारा संकल्प(पों) पारित किए जाने की मान्य तारीख होगी.
15. डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग किसी प्रॉक्सी द्वारा नहीं किया जा सकता है.

# IDBI BANK LIMITED

**CIN L65190MH2004GOI148838**

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352, e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com ]

## PHYSICAL BALLOT FORM BY POST (In lieu of E-voting at the AGM).

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of Sole / First Member | |
| 2. | Name(s) of Joint Member (s), if any | |
| 3. | Registered Folio No./DP ID No./Client ID No. | |
| 4. | Number of Shares held | |

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Resolution (s) to be passed through e-voting/ Physical Ballot Form by Post/ Polling Form for the business stated in the AGM Notice dated June 04, 2015 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution (s) by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below:

| Item No. | Description | No. of shares held by me | I assent to the resolution | I dissent to the resolution |
|---|---|---|---|---|
| 1.* | Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2015 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution) | | | |
| 2.* | Declaration of Dividend @ ₹ 0.75 per share for the year 2014-15 payable to Members (Ordinary Resolution) | | | |
| 3.* | Authorising the Board of Directors to appoint Joint Statutory Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2015-16 as per RBI approval, in terms of Section 30(1-A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Sections 139 and 143(8) of the Companies Act, 2013 (Ordinary Resolution) | | | |
| 4.* | Passing of enabling Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution) | | | |
| 5.* | Passing of enabling Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier-II/ Additional Tier-I Bonds, by way of Private Placement/Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later (Special Resolution) | | | |
| 6.* | Passing of Special Resolution u/s 14 of the Companies Act, 2013 for amendment to Articles of Association of IDBI Bank as follows :<br>(i) Incorporating new Article 1A in the Articles of Association to provide that all references in the Articles about old provisions of the Companies Act, 1956 shall be construed and read as applicable relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and complied accordingly.<br>(ii) The present Article 116(1)(a) be amended to provide for separation of CMD's post into two posts of a Chairman and a Managing Director & CEO as per Govt. of India's guidelines.<br>(iii) Consequently, the present Article 114(a) be amended to provide for "thirteen" maximum Directors on the Board instead of "twelve" presently provided. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (iv) The present Article 116A(i) be amended to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)] as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided, in compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013.<br>(v) The present Article 116A(ii) be amended to clarify that out of the 5 Directors prescribed under Article 116(1)(e) read with Article 116A(i), one Woman Director shall be appointed on the Board to comply with the provisions of Section 149(1)(b) Second Proviso of the Companies Act, 2013, unless a Woman Director is already on the Board appointed / nominated under Article 116(1)(a) to 116(1)(d) of the Articles of Association. | | | |

* for detailed Resolution and Explanatory Statement, kindly refer to the AGM Notice dated June 04, 2015.

Place:

**Date :**

**(Signature of Member)**

NOTE : Kindly read the instructions printed overleaf before filling in the form. Last date for receipt of Physical Ballot Forms by post by Scrutinizer is **Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).**

**INSTRUCTIONS**

1 In terms of Clause 35 B of the Listing Agreement, those members, who do not have access to e-voting facility may send their assent or dissent in writing on the Physical Ballot Form.

2 A Member desiring to exercise his/her vote by Physical Ballot should complete this Physical Ballot form, sign and send in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope so as to reach the Scrutinizer as per instruction 6 below at the address M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., C/o Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No. 17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the Members will also be accepted.

3 The self-addressed envelope bears the name of the Scrutinizer appointed by the Board of Directors of the Bank and the address at which the Physical Ballot Form is to be sent.

4 The Physical Ballot Form should be completed and signed by the Members. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member(s). Unsigned Physical Ballot Forms will be rejected. The signature on the Physical Ballot Form must tally with the specimen signature registered with the Bank.

5 Where the Physical Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Physical Ballot should accompany the Physical Ballot Form. A member may sign the Form through an Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Physical Ballot Form.

6 Duly completed Physical Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. (IST) on **Tuesday, August 11, 2015.** Any Physical Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.

7 A Member may request for a duplicate Physical Ballot Form or download the same from the Bank's website www.idbi.com, if so required. However, the duly filled in duplicate Physical Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at Point No.6 above.

8 Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member as on Wednesday, August 05, 2015, which is the Cut-off Date fixed for this purpose.

9 Members are requested not to send any other paper along with the Physical Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer.

10 There will be only one Physical Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Member (s).

11 A Member need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.

12 The Scrutinizer's decision on the validity of a Physical Ballot will be final and binding.

13 Incomplete, unsigned or incorrect Physical Ballot Forms will be rejected.

14 The date of AGM will be the deemed date of passing resolution (s) through e-voting/ Physical Ballot Form/ Polling Paper at the AGM.

15 The right of voting by Physical Ballot Form by Post shall not be exercised by a Proxy.

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

# आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

[पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्पलेक्स,
कफ परेड, मुंबई 400 005,
फोन- (022) 66552779, फैक्स (022) 22182352,
ई-मेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाईट : www.idbi.com]

## अत्यावश्यक ध्यानार्थ

### आईडीबीआई बैंक के सदस्य

### आईडीबीआई बैंक में ई-मेल आईडी का पंजीकरण

### और

### इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से लाभांश का भुगतान

कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 के अनुसार हम आईडीबीआई बैंक के सभी सदस्यों से, जिन्होंने अभी तक बैंक में अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण नहीं करवाया है, एतद्द्वारा अपील करते हैं कि वे अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण करवा लें ताकि उन्हें वार्षिक महासभा की सूचना तथा अन्य पत्रादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सकें.

2. इसके अलावा सेबी के दिनांक 21.03.2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/ एमआरडी/ डीपी/ 10/ 2013 के इस निर्देशानुसार कि आगे से सूचीबद्ध कंपनियां निवेशकों को सभी प्रकार के भुगतान, जिनमें शेयरधारकों को लाभांश भी शामिल है, अनिवार्य रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस) / आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस) / एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], एनईएफटी आदि के माध्यम से करें; हमारा बैंक के ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपेक्षित फॉर्म में अपने बैंक खाते का विवरण और/अथवा ई-मेल आईडी (यदि पहले न दिया गया हो) हमें भेजें. कृपया विधिवत् रूप से भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों के साथ उसमें दिये हुए पते पर भेजें. इससे बैठक की सूचना और अन्य पत्रादि शीघ्र भेजे जा सकेंगे और साथ ही लाभांश का भुगतान उक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिदेशित बैंक खाते में किया जा सकेगा.

3. ऐसे शेयरधारक जिनके शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से बैंक मैंडैट और /अथवा ई-मेल आईडी ब्योरों, जैसा भी मामला हो, को अद्यतन करने/ संशोधित करने के लिए संपर्क करें.

4. यदि आप लाभांश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं चाहते हैं तो भी कृपया उपर्युक्त उल्लिखित फॉर्म में अपने बैंक खाते की जानकारी (खाता संख्या और बैंक का नाम) भेजें ताकि उन्हें सेबी दिशा- निर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक को लाभांश वारंटों पर अनिवार्य रूप से मुद्रित करवाया जा सके.

5. कृपया नोट करें कि वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर भी डाउनलोड करने की सुविधा के साथ उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान इसकी भौतिक प्रतियों की जांच की जा सकती है.

**कृते आईडीबीआई बैंक लि.**
**पवन अग्रवाल**
**कंपनी सचिव**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 जून 2015

IDBI BANK

CIN L65190MH2004GOI148838

# IDBI BANK LIMITED

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,
e-mail :idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbi.com ]

## URGENT ATTENTION

### MEMBERS OF IDBI BANK
### Registration of email ids with IDBI Bank
### and
### payment of Dividend through Electronic Payment Modes

In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, we, hereby, request all Members of IDBI Bank Ltd., who have till date not registered their email id(s) with the Bank, to register their email id(s) in order to receive Notice of Annual General Meeting and other communications in electronic form.

2. Further, in terms of SEBI Circular No. CIR/MRD/DP/10/2013 dated 21.03.2013, directing that, henceforth, Listed Companies shall mandatorily make all payments to Investors, including Dividend to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request all Shareholders of the Bank who hold physical shares to furnish the Bank account details and / or e-mail id(s) (if not already furnished) in the requisite form. Duly filled up form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate prompt delivery of Notice of the meeting and other communications as well as payment of dividend through aforesaid electronic mode in the mandated Bank Account.

3. Members who hold shares in Demat form are requested to approach concerned Depository Participant for updating /modifying the Bank Mandate and/or e-mail id(s) details as the case may be.

4. In case, you do not want Electronic payment of the Dividend, kindly still furnish your Bank Account information (Account number and Bank's name) on the aforesaid form required to be mandatorily printed by IDBI Bank on the Dividend warrants as per SEBI's directives.

5. Please note that, the Notice of AGM and Annual Report will also be made available on Bank's website www.idbi.com with download facility and physical copies of the same can be inspected at the Registered Office of the Bank during office hours.

**For IDBI Bank Ltd.**

**Pawan Agrawal**
**Company Secretary**

Place- Mumbai

Date- June 04, 2015

IDBI BANK

# बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम _____ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करते हैं कि वे

- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें अथवा
- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

फोलियो नं.: IDB _____

**बैंक खाते का विवरण**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंक का नाम | : | |
| 2. | शाखा का नाम<br>पता (केवल मैंडेट हेतु) | : | |
| 3. | एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या | : | |
| 4. | खाता प्रकार (बचत/चालू) | : | |
| 5. | चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं. | : | |
| 6. | शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं. | : | |
| 7. | बैंक शाखा का आईएफएससी कोड | : | |
| 8. | शेयरधारक का ई-मेल आईडी | | |

.....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या / आईएफएससी कोड के सही होने के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबन्धित चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.

2.

| **ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:** | **शेयरधारकों द्वारा शेयर अमूर्त रूप में रखे जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :** |
|---|---|
| कार्वी कम्प्युटरशेयर प्रा. लि.<br>कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32,<br>गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा,<br>हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना. | संबन्धित डिपॉज़िटरी, जहां डीमैट खाता रखा गया है. |

**संलग्नक :**

1. पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति.
2. आवास प्रमाण - आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की स्व- प्रमाणित प्रति.
3. रद्द कोरा चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

IDBI BANK

# BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We _____ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Print the following details on my/our dividend warrant or
- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.

(Strike out whichever is not applicable)

Folio No. : IDB_____

**Particulars of Bank Account:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bank Name | : | |
| 2. | Branch Name<br>Address (for Mandate only) | : | |
| 3. | 9 Digit Code number of the bank & Branch as appearing on the MICR cheque | : | |
| 4. | Account Type (Savings/Current) | : | |
| 5. | Account No. as appearing on the cheque book | : | |
| 6. | Branch STD code & Telephone no. | : | |
| 7. | IFSC Code of Bank Branch | : | |
| 8. | Email ID of shareholder | : | |

.....

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.
2.

| **In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:** | **In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:** |
|---|---|
| Karvy Computershare Pvt. Ltd.<br>Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32,<br>Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,<br>Hyderabad-500 032 Telangana. | The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained. |

**Enclosures :**

1. Self attested copy of PAN Card
2. Self attested copy of Residence - AADHAAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled Blank Cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

# नोट / NOTE

# नोट / NOTE

www.sapprints.com